उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज

पत्रांक : 4737 /चयन/2019–20 दिनांक 18.03.2020

विज्ञप्ति

विज्ञप्ति संख्या : 4603/चयन/2019–20/दिनांक 28.02.2020 एवं विज्ञप्ति संख्या : 4610/चयन/2019–20 दिनांक 28.02.2020 द्वारा विज्ञापन संख्या–02/2016 प्रवक्ता मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, संगीत वादन, कृषि, जीव विज्ञान, तर्कशास्त्र, भूगोल, शिक्षाशास्त्र, उर्दू, संगीत गायन, सैन्य विज्ञान, वाणिज्य, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र एवं अंग्रेजी का पैनल उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम–12 (8) के अन्तर्गत दिनांक 28.02.2020 को घोषित किया गया था।

पैनल तैयार करने संबंधी दिशा–निर्देशों/क्षैतिज आरक्षण के क्रियान्यवन सम्बन्धी निर्देशों का पालन न होने के कारण अधोलिखित विषयों के पूर्व घोषित पैनल में कतिपय विसंगतियाँ दृष्टिगोचर हुई हैं जिसके कारण बोर्ड द्वारा इन विषयों के पैनल को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में एतद्द्वारा निम्नलिखित विषयों के संशोधित पैनल तथा उपर्युक्त सभी 19 विषयों की मेरिट सूची कटऑफ सहित दिनांक 18.03.2020 को प्रकाशित कर दिया गया है –

1. भौतिक विज्ञान (बालक वर्ग)
2. रसायन विज्ञान (बालक वर्ग)
3. जीव विज्ञान (बालक वर्ग)
4. गणित (बालक वर्ग)
5. नागरिक शास्त्र (बालक वर्ग)
6. अर्थशास्त्र (बालक वर्ग)
7. भूगोल (बालक वर्ग)
8. समाजशास्त्र (बालक वर्ग)
9. अंग्रेजी

पैनल दिनांक 18.03.2020 के कालम 'SELECTION AS' में जिनके सामने अनारक्षित (UR)/आरक्षण श्रेणी (OBC/SC/ST) अंकित नहीं है उनके नाम 'रिक्तियों की संख्या से अधिक' के अन्तर्गत प्रदर्शित हैं, इस श्रेणी के अभ्यर्थियों का संस्था आवंटन बोर्ड द्वारा नहीं किया जाना है।

18-03-2020

घोषित पैनल के कालम 'SELECTION AS' में जिनके नाम के सामने अनारक्षित (UR)/आरक्षण श्रेणी (OBC/SC/ST) प्रदर्शित है, उनका संस्था आवंटन रिक्तियों की संख्या के अनुरूप उपरोक्त नियमावली, 1998 के नियम–12 (10) के अनुसार बोर्ड द्वारा बाद में किया जायेगा।

नियम 12 (10) के अन्तर्गत आवंटित संस्था में यदि कोई चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहेगा, तो उसके स्थान पर पैनल में उल्लिखित 'रिक्तियों की संख्या से अधिक' के अन्तर्गत अंकित अभ्यर्थियों के नाम में से योग्यता क्रम से संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नियमावली 1998 के नियम 13 (3) के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रवक्ता अंग्रेजी विषय के साक्षात्कार में सम्मिलित किये जाने संबंधी दायर रिट याचिका 3162/2020 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.03.2020 के अनुपालन में सम्बन्धित याचीगणों के साक्षात्कार के पश्चात् ही संस्था आवंटन का कार्य किया जाएगा।

18-03-2020

(नवल किशोर)
उप सचिव